



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

7 भाद्र, 1945 (श०)

संख्या - 525 राँची, मंगलवार,

29 अगस्त, 2023 (ई०)

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

संकल्प

12 मई, 2023

विषय:- झारखण्ड राज्य के कैंसर रोगियों की चिकित्सा हेतु वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के अन्तर्गत टाटा मेडिकल सेन्टर, न्यू टाउन राजार हाट, कोलकता के मनोनयन, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत 5,00,000/- (पाँच लाख) ₹ के अतिरिक्त विभागीय स्तर से मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अन्तर्गत 20,00,000/- (बीस लाख) ₹ तक अर्थात् कुल 25,00,000/- (पच्चीस लाख) ₹ तक के चिकित्सा व्यय की स्वीकृति तथा उक्त चिकित्सा संस्थान एवं झारखण्ड राज्य आरोग्य सोसाईटी राँची के साथ MoU के संबंध में।

राज्य अन्तर्गत आम जनता को उच्चस्तरीय चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है।

संख्या-35A(4)--राज्य में कैंसर रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2021-22 में 2099 एवं वर्ष 2022-23 में कुल 3059 कैंसर रोगी प्रतिवेदित हुए हैं जो विभिन्न कैंसर चिकित्सा संस्थानों में इलाज प्राप्त कर रहे हैं। इस क्रम में राज्य के गंभीर रूप से पीड़ित एवं जरूरतमंद कैंसर रोगियों के इलाज हेतु टाटा मेडिकल सेन्टर, कोलकाता द्वारा इलाज प्रस्तावित है। इस चिकित्सा संस्थान के मनोनयन से झारखण्ड के कैंसर रोगियों के इलाज में और अधिक सुविधाएँ प्रदान की जा सकेंगी।

टाटा मेडिकल सेन्टर, टाटा ट्रस्ट निबंधित कार्यालय 1- Bishop Lefory Road, Kolkata-700020 के अन्तर्गत कार्यरत है, यह चिकित्सा संस्थान राज्य के कैंसर रोगियों के इलाज में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। उक्त संस्थान के द्वारा पूर्व से निकटवर्ती उड़ीसा राज्य सरकार के साथ MoU संपादित कर कैंसर रोगियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

2. टाटा मेडिकल सेन्टर कोलकता से राज्य वासियों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराये जाने के निमित्त झारखण्ड राज्य आरोग्य सोसाइटी एवं टाटा मेडिकल सेन्टर, कोलकता के बीच एक MoU किया जायेगा।

3. इस हेतु टाटा मेडिकल सेंटर कोलकता को आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध किया जायेगा।

4. टाटा मेडिकल सेन्टर में झारखण्ड राज्य के कैंसर रोगियों के इलाज के क्रम में व्यय होने वाली राशि का प्रथमतः आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के स्वीकृत पैकेज के अनुसार वहन किया जायेगा।

5. आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के स्वीकृत पैकेज से अधिक राशि की चिकित्सा के क्रम में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने की स्थिति में 25 लाख रूपए की अधिसीमा के अन्तर्गत राशि का व्यय राज्य स्तरीय अनुशंसा-सह-स्वीकृति समिति के द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में झारखण्ड राज्य आरोग्य सोसाइटी के द्वारा भुगतान किया जाएगा।

6. रोगियों के इलाज हेतु प्रथमतः आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का पैकेज अनुमान्य होगा। इलाज के क्रम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन योजना के पैकेज से अधिक राशि होने पर अतिरिक्त राशि का भुगतान टाटा मेडिकल सेंटर, कोलकता की जेनरल रेट लिस्ट वर्णितदर के आलोक में राज्य स्तरीय अनुशंसा-सह स्वीकृति समिति के द्वारा समीक्षोपरान्त समुचित निर्णय लिया जाएगा। इस समिति के द्वारा आवश्यकतानुसार ऑनलाईन बैठक की जा सकेगी। इस समिति की निम्नवत् संरचना होगी

- (i) निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ –अध्यक्ष।
- (ii) झारखण्ड राज्य आरोग्य सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक या उनके प्रतिनिधि-सदस्य सचिव
- (iii) संबंधित जिला के सिविल सर्जन/उनके प्रतिनिधि-सदस्य।
- (iv) उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य निदेशालय, झारखण्ड-सदस्य।
- (v) उक्त समिति के द्वारा आवश्यकतानुसार टाटा मेडिकल सेंटर, कोलकाता के प्रतिनिधि को बतौर विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किया जा सकेगा।

7. आयुष्मान भारत योजना के पैकेज से अधिक राशि का ईलाज में खर्च होने की संभावना होने की स्थिति में टाटा मेडिकल सेंटर (TMC) द्वारा प्रकाशित जेनरल रेट लिस्ट को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित चिकित्सा का विस्तृत प्राक्कलन जसास को उपलब्ध कराया जायेगा। जसास द्वारा यह प्राक्कलन **राज्य स्तरीय अनुशंसा सह-स्वीकृति समिति** के समक्ष चौबीस घंटों के भीतर उपस्थापित करते हुए बैठक आयोजित की जाएगी, जिसके द्वारा की गयी अनुशंसा/स्वीकृति के आलोक में पाँच लाख रुपये तक की राशि की स्वीकृति जसास द्वारा दी जायेगी तथा पाँच लाख रुपये से अधिक किन्तु पच्चीस लाख रुपये तक की अधिसीमा के अन्तर्गत अतिरिक्त राशि का वहन मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी राशि से जसास के द्वारा किया जाएगा।

पच्चीस लाख रुपये से अधिक राशि का चिकित्सकीय प्राक्कलन होने की स्थिति में पचीस लाख रुपये से अधिक राशि के चिकित्सकीय व्यय की अनुशंसा इस समिति के द्वारा की जा सकेगी, जिसपर मंत्रिपरिषद्, झारखण्ड के स्तर से विधिवत् स्वीकृति प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

8. चिकित्सा संस्थान के द्वारा दिया गया प्राक्कलन पत्र संस्थान प्रमुख या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पत्रांक एवं दिनांक के साथ निर्गत किया जायेगा, जिसमें स्पष्ट रूप से बीमारी की स्थिति तथा प्रदान किए जाने वाले ईलाज का सम्पूर्ण विवरण अंकित किया जाएगा।

9. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अन्तर्गत जसास को पर्याप्त निधि उपलब्ध करायी जाएगी, जिससे जसास के स्तर पर एक Corpus Fund गठित करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

राज्य स्तरीय अनुशंसा-सह-स्वीकृति समिति की अनुशंसा के आलोक में जसास द्वारा पाँच लाख रुपये तक की राशि का भुगतान चिकित्सा संस्थान को किया जायेगा।

पाँच लाख रुपये से अधिक किन्तु पच्चीस लाख रुपये की अधिसीमा के अन्तर्गत अतिरिक्त राशि का भुगतान जसास के द्वारा उपर्युक्त Corpus Fund से किया जाएगा।

10. जसास के स्तर Corpus Fund पर की स्थापना हेतु विभाग के द्वारा आवंटित राशि की निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा एकमुश्त अग्रिम निकासी कर जसास को हस्तांतरित की जाएगी।

11. आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के पैकेज से अधिक व्यय होने वाली राशि का व्यय शीर्ष मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना का व्यय शीर्ष-राज्य स्कीम बजट शीर्ष-

2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-001-निदेशन और प्रशासन-49-मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क डायग्नोस्टिक एवं रेडियोलॉजी जाँच योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क ब्रेस्ट एवं सरवाइकल कैंसर स्क्रीनिंग योजना-01-मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क पैथोलॉजिकल एवं डायग्नोस्टिक एवं रेडियोलॉजिकल टेस्ट स्कीम निःशुल्क ब्रेस्ट एवं सरवाइकल कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट स्कीम-06-अनुदान-79-सहायता अनुदान सामान्य (विपत्र कोड-20 एस 2210-01-001-49-01-06-79) होगा ।

12. कैंसर रोगियों की चिकित्सा हेतु विभाग द्वारा अनुदानित राशि से ईलाजोपरांत उपयोगिता प्रमाण-पत्र टाटा मेडिकल सेंटर (TMC) द्वारा अधिकतम 3(तीन) माह के अन्दर जसास को कराया जाएगा ।

13. चिकित्सा संस्थान के साथ प्रथमतः एक(1) वर्ष के लिए MoU किया जायेगा, जिसे उभय पक्षों की सहमति से वार्षिक आधार पर पाँच वर्षों की अवधि तक विस्तारित किया जा सकेगा ।

14. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में टाटा मेडिकल सेंटर, कोलकाता द्वारा कैंसर रोगियों के इलाज हेतु वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए एवं नियम 245 के अन्तर्गत चिकित्सा संस्थान के मनोनयन, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत 5,00,000/- (पाँच लाख) ₹ के अतिरिक्त विभागीय स्तर से मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अन्तर्गत 20,00,000/- (बीस लाख) ₹ तक अर्थात् कुल 25,00,000/- (पच्चीस लाख) ₹ तक के चिकित्सा व्यय की स्वीकृति तथा उक्त चिकित्सा संस्थान एवं झारखण्ड राज्य आरोग्य सोसाईटी राँची के साथ MoU किया जाएगा ।

15. यह संकल्प मंत्रिपरिषद्, झारखण्ड से स्वीकृति की प्रत्याशा में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति के आधार पर निर्गत किया जा रहा है ।

अरुण कुमार सिंह,

अपर मुख्य सचिव ।
